:: न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अकलेरा, जिला झालावाड़ ::

पीठासीन न्यायाधीश : मुकेश कुमार सोनी
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दुर्घटना दावा याचिका संख्या **60/2020**
सी.आई.एस. नम्बर **60/2020**

01. **प्रभूलाल** पुत्र मांगीलाल, निवासी बोरखेड़ी लोढान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)
02. **रोडी बाई** पत्नी प्रभूलाल, निवासी बोरखेड़ी लोढान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

---प्रार्थीगण

बनाम

01. **बीरम** पुत्र मेहताब, निवासी सरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) **---वाहन चालक व स्वामी**
02. **शाखा प्रबन्धक, एम. एस. चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी**, कोटा, जिला कोटा (राज.) **---बीमा कम्पनी**

<u>दुर्घटना दावा याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम</u>

<u>उपस्थितः-</u>

01. श्री दुर्गाशंकर गोयल, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण।
02. श्री भोजराज पारेता, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01
03. श्री मुरारीलाल अदलक्खा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02

:: अधिनिर्णय :: दिनांकः- 13.03.2026

1. प्रार्थी/दावेदार प्रभूलाल व रोड़ी बाई द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत वाहन दुर्घटना में परमानन्द की मृत्यु हो जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध यह याचिका दिनांक 12.11.2020 को इस अधिकरण के समक्ष पेश की।

2. याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के अनुसार दिनांक 15.05.2020 को मृतक परमानन्द कृषि फार्म से ट्रेक्टर नं. आर.जे. 17 आर.बी. 7111 में ग्राम सेदरा से खाद भरकर हरिसिंह निवासी पटपड़ी हरिपुरा के खेत पर खाद खाली करने लिए जा रहा था। रास्ते में पेशाब करने उतरा तो ट्रेक्टर चालक बीरम ने ट्रेक्टर को गफलत, लापरवाहीपूर्वक, तेज गति से चलाकर परमानन्द के सामने से टक्कर मार

दी जिससे परमानन्द के सिर व शरीर के अन्य जगह गम्भीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण हमेशा के लिए अपने पुत्र स्नेह से वंचित हो गए। मृतक परमानन्द ही प्रार्थीगण के बुढ़ापे का सहारा था जिसकी दुर्घटना में हुई मृत्यु की क्षति का आकलन रूपये पेसे में किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त दुर्घटना वाहन ट्रेक्टर नं. आर.जे. 17 आर.बी. 7111 के चालक बीरम द्वारा ट्रेक्टर को गफलत, तेज गति, लापरवाही से चलाकर कारित की गई है। बीरम ट्रेक्टर का पंजीकृत स्वामी व चालक था तथा वक्त दुर्घटना उक्त वाहन अप्रार्थी नं. 2 के यहाँ बीमित था। उक्त वर्णित आधारों पर प्रार्थी/आवेदकगण ने कुल 30,52,000/- रूपये अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से प्रतिकर राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश कर याचिका के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्तियों में मुख्य रूप से कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा गफलत व लापरवाही से वाहन को चलाकर कोई दुर्घटना कारित नहीं की तथा अचानक से ट्रेक्टर का बेलेंस बिगड़ गया जिसे बचाने के चक्कर में ट्रेक्टर आगे खिसक जाने से उक्त दुर्घटना कारित हुई है। वक्त दुर्घटना वाहन नं. आर.जे. 17 आर.बी. 7111 के चालक/स्वामी बीरम के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था तथा वाहन अप्रार्थी सं. 2 के यहां बीमित है। अगर कोई क्लेम राशि देय होती है तो अप्रार्थी नं. 2 बीमा कम्पनी उत्तरदायी है। क्लेम याचिका सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4. अप्रार्थी सं. 2 बीमा कम्पनी की ओर से जवाब पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि प्रस्तुत क्लेम निर्धारित प्रारूप व वांछित दस्तावेज की आवश्यक प्रतियों के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। बीमा कम्पनी अपनी सुरक्षा हेतु एम.वी. एक्ट की धारा 147, 149, 170 एवं इंश्योरेंस एक्ट की धारा 64 वी.बी. एक्ट को एडोक्ट करती है। प्रकरण में फरियादी फूलचन्द द्वारा थाना भालता पर दी गई सूचना पर मर्ग क्रमांक 12/2000 कायम की गई है। तत्पश्चात् ट्रेक्टर चालक बीरम के विरूद्ध धारा 304ए व 184 एम.वी. एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान चार्जशीट प्रस्तुत की है। मृतक ट्रेक्टर के साथ संलग्न ट्रोली में बैठा था जो ट्रेक्टर ट्रोली पलटने से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु हुई है। बाद में योजनाबद्ध तरीके से दुरभिसंधि कर परमानन्द के ट्रेक्टर ट्रोली से दुर्घटना होना बता

दिया गया। मृतक ट्रेक्टर के साथ संलग्न अबीमित ट्रोली में बैठा था जो ट्रोली पल्टी खा जाने से नीचे दब जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन होने से बीमा कम्पनी का दायित्व नहीं बनता है। बीमा कम्पनी द्वारा ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन अनुसार सीटिंग केपेसिटी चालक सहित एक की होने से उसी अनुरूप केवल मात्र चालक का प्रीमियम लिया गया है। अबीमित ट्रोली में मृतक बैठा हुआ था जिसका कोई प्रीमियम नहीं लिया गया होने से कथित दुर्घटना में हुई उसकी मृत्यु के लिए बीमा कम्पनी का कोई क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व नहीं बनता है। मोटरवाहन अधिनियम की धारा 158(6) के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। बीमाधारी वाहन स्वामी द्वारा भी बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन कर संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। वक्त दुर्घटना चालक के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था। क्षतिपूर्ति राशि पर देय ब्याज की गणना धारा 34 सी.पी.सी. सपठित धारा 10.27 राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के तहत की जानी चाहिए जो नहीं की गई है। अन्त में क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गये-

1. आया दिनांक 15.05.2020 को दिन में करीब 2 बजे स्थान आम रोड़ सेदरा की घाटी के पास, हरलाल हरिजन के खेत के पास अप्रार्थी सं. 1 बीरम ने वाहन ट्रेक्टर नं. आर.जे. 17 आर.बी. 7111 को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर, परमानन्द के सामने से टक्कर मार दी, जिससे उक्त परमानन्द की मृत्यु कारित हुई?

....प्रार्थीगण

2. आया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत क्लेम याचिका, अप्रार्थीगण की ओर से जवाब याचिका में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है? यदि हाँ तो किस प्रकार?

....अप्रार्थीगण

3. आया प्रार्थीगण, क्लेम याचिका में अप्रार्थीगण से 30,52,000/- रूपया मय ब्याज राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?

....प्रार्थीगण

4. अनुतोष?

6. प्रार्थी पक्ष की ओर से अपनी साक्ष्य में ए.ड. 01 प्रभूलाल, ए.ड 02 देवसिंह के बयान कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 15 प्रलेख प्रदर्शित कराये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एन.ए.ड. 01 बीरम के बयान कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

7. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस याचिका में वर्णित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि परमानन्द की मृत्यु अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से ट्रेक्टर चलाकर टक्कर मारकर कारित की गई है। जो उनकी साक्ष्य से साबित है। घटना की रिपोर्ट मृतक के परिजनों ने मौखिक जानकारी के आधार पर पेश की थी। लेकिन अनुसंधान से अप्रार्थी सं. 1 द्वारा टक्कर मारकर मृत्यु कारित करना साबित पाया गया है। उनका तर्क है कि मृतक ट्रेक्टर में खाद खाली करने के लिए जा रहा था जो कृषि सम्बन्धी कार्य है। बीमा कम्पनी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की। अतः क्लेम याचिका स्वीकार की जाए। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये-

(1) 2022(1) ACTC (Raj.) 72 (2) 2018(1) ACTC (SC) 479

(3) 2019(2) RLW 1575 (SC)

8. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 निवेदन किया कि ट्रेक्टर का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण आगे खिसक जाने से मृतक के टक्कर लगी है। इसमें अप्रार्थी सं. 1 की उपेक्षा नहीं है। वह वैध लाईसेंस धारक चालक था और वाहन वक्त घटना बीमित था। इसलिए प्रतिकर अदायगी की स्थिति में बीमा कम्पनी उत्तदायी है।

9. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ट्रेक्टर अकृषि कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था और मृतक अनाधिकृत रूप से ट्रोली में सवार था जो ट्रोली बीमित नहीं थी। घटना की मर्ग रिपोर्ट से साबित है कि परमानंद की मृत्यु ट्रेक्टर पलटने से हुई है। इसलिए बीमा कम्पनी प्रतिकर अदायगी के लिए जिम्मेदार नहीं है। वाहन वक्त घटना बीमित होना स्वीकार किया किन्तु बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व साबित नहीं होने के आधार पर क्लेम याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

10. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तदुपरान्त प्रत्येक विवाद्यक पर अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः-

विवाद्यक संख्या 01

11. विवाद्यक सं. 1 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। इस संबंध में प्रार्थी साक्षी क्रमांक 1 प्रभूलाल मृतका का पिता है जिसने अपनी क्लेम याचिका के तथ्यों को दोहराया है एवं दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह वक्त दुर्घटना घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। साक्षी का कथन है कि उसका लड़का परमानन्द ट्रेक्टर में बैठकर खाद खाली करने के लिए गया था लेकिन रास्ते में सेदरा की घाटी के यहां पर ट्रेक्टर से उतरकर पेशाब करने चला गया था। जब पेशाब करके वापस आ रहा था तो सामने से आ रहे ट्रेक्टर ने टक्कर मार दी जिससे उसके लड़के की मौत हुई थी। उसका लड़का ट्रेक्टर से नहीं गिरा था बल्कि ट्रेक्टर से सामने से टक्कर मारने की वजह से दुर्घटना हुई थी। इस सुझाव को गलत बताया कि उसका लड़का शराब पीकर पेशाब करने गया हो जहां पर गिर गया हो व किसी ट्रेक्टर ने टक्कर नहीं मारी हो। अप्रार्थी बीमा कम्पनी की प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर ट्रोली पल्टी खा गया था, अजखुद कहा है कि उसका लड़का पेशाब करने गया था वापस आते समय उसके लड़के के सामने से ट्रेक्टर ने टक्कर मारी थी जिससे ट्रेक्टर पल्टी खा गया और उसके लड़के के लगी थी। इस सुझाव को गलत बताया कि बीरम के ट्रेक्टर से कोई टक्कर नहीं लगी हो। साक्षी का कथन है कि मृतक परमानन्द का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी का नाम कान्ति बाई है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने आय के संबंध में कोई ब्यौरा पेश नहीं किया है।

12. प्रार्थी साक्षी क्रमांक 2 देवसिंह ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किया है कि दिनांक 15.05.2020 को सेदरा की घाटी में ट्रेक्टर नं. आर.जे. 17 आर.बी. 7111 के चालक बीरम द्वारा ट्रेक्टर को तेजगति, गफलत, लापरवाहीपूर्वक चलाकर सामने से परमानन्द के टक्कर मारी जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वक्त दुर्घटना वह सेदरा से अपने गांव परसपुरा जा रहा था। उसने परमानन्द को सामने से आते हुए देखा था। साक्षी का कथन है कि उसने देखा कि परमानन्द पेशाब करके सामने से आ रहा था, ट्रेक्टर सामने से आ

रहा था, एकदम ट्रेक्टर ने ब्रेक लगाये और ट्रेक्टर पल्टी खा गया जिससे परमानन्द उसके नीचे दब गया। अप्रार्थी बीमा कम्पनी की प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह जब मौके पर पहुंचा तो रमेश हरिजन के खेत की तरफ से ट्रेक्टर पल्टी खाते हुए देखा था। इस सुझाव को गलत बताया कि परमानन्द ट्रेक्टर के मडगार्ड पर बैठा हो और ट्रेक्टर ट्रोली पलट गई हो जिससे वह नीचे दब गया हो।

13. अप्रार्थी साक्षी क्रमांक 1 बीरम ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थीगण की ओर से जिरह में स्वीकार किया है कि उसके विरूद्ध इसी दुर्घटना का चालान पुलिस थाना भोजपुर ने 279, 304ए भा.द.सं. में पेश किया था जो जैरकार है। यह भी स्वीकार किया है कि उसने न्यायालय से ट्रेक्टर सुपुर्दगी पर लिया था और उसके विरूद्ध खिलचीपुर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। साक्षी का कथन है कि घटना के समय देवसिंह भंवरलाल फरशपुरा गांव का वहीं मौजूद था और परमानन्द को ट्रेक्टर के नीचे से इन्होंने ही निकाला था। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना से पूर्व परमानन्द ट्रेक्टर से नीचे उतरकर पेशाब करने चला गया था, जब पेशाब करके वापस लौट रहा था तब ट्रेक्टर का बैलेंस बिगड़ गया और घाटी होने की वजह से ट्रेक्टर आगे बढ़ गया जिससे परमानन्द ट्रेक्टर के नीचे आ गया था। बीमा कम्पनी की प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को गलत बताया कि परमानन्द वक्त दुर्घटना ट्रेक्टर के मडगार्ड पर बैठा हो बल्कि पेशाब करके सामने से आ रहा होना बताया है। इस सुझाव को गलत बताया कि उसने दुर्घटना के दिन शराब पी रखी हो।

14. साक्ष्य में दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गयी है, जिसके अनुसार दुर्घटना के संबंध में सर्वप्रथम फूलचन्द द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर परमानन्द की ट्रेक्टर से गिरकर मृत्यु हो जाने की सूचना पर थाना भोजपुर में मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श 4 दिनांक 15.05.2020 को दर्ज की गई। तत्पश्चात दिनांक 17.05.2020 को प्रकरण में थाना भोजपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 146/20 अपराध धारा 304ए भा.द.सं. व 183 एम.वी. एक्ट में दर्ज की गई जो प्रदर्श 2 है। अनुसंधान के दौरान ट्रेक्टर चालक अभियुक्त बीरम को उक्त अपराध में जरिये फर्द प्रदर्श 3 गिरफ्तार किया गया। मृतक का पंचनामा प्रदर्श 5 बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 7 तैयार की गई जिसके अनुसार परमानन्द की मृत्यु सिर की

चोट के कारण श्वसन तंत्र में अवरोध से कारित हुई थी। वाहन ट्रेक्टर आर.जे. 17 आर.बी. 7111 व उसका पंजीयन प्रमाण पत्र, चालक का ड्राईविंग लाईसेंस व बीमा पॉलिसी जरिये प्रदर्श 8 जप्त किए गए हैं। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श 12 में दुर्घटना स्थल ग्राम सेदरा जाने वाले सड़क पर दर्शाया गया है। प्रदर्श 14 बीमा पॉलिसी की प्रति एवं प्रदर्श 15 वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र व ड्राईविंग लाईसें की प्रति है। आरोप पत्र प्रदर्श 1 के अनुसार बाद अनुसंधान अप्रार्थी सं. 1 बीरमचंद के विरूद्ध अपराध धारा 304ए भादसं व 184 एम.वी. एक्ट में आरोप पत्र पेश किया गया है।

15. इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि अप्रार्थी सं. 1 बीरम दुर्घटना के समय प्रश्नगत ट्रैक्टर आर जे 17 आर बी 7111 का चालक था और मृतक परमानंद उक्त ट्रैक्टर में कृषि फार्म से खाद डालने के लिए उक्त बीरम के साथ गया था। यह भी साबित है कि परमानंद की मृत्यु प्रश्नगत ट्रैक्टर के कारण हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई थी।

16. अप्रार्थी बीमा कम्पनी का तर्क है कि मर्ग रिपोर्ट में दुर्घटना ट्रैक्टर ट्रोली पलटने के कारण होना अंकित है बाद में अप्रार्थी सं. 1 से दुःसंधि कर सामने से टक्कर मारने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मर्ग रिपोर्ट मृतक के रिश्तेदार फूलचंद, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, द्वारा दी रिपोर्ट पर दर्ज हुई है। अनुसंधान के दौरान प्रत्यक्षदर्शी साक्षी देवीसिंह द्वारा ट्रैक्टर से सामने से टक्कर मारने की जानकारी दिये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने अनुसंधान में इन तथ्यों को सही पाया गया है तथा अप्रार्थी सं. 1 बीरम के विरूद्ध अपराध धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 184 एम वी एक्ट के तहत आरोप पत्र पेश किया गया है।

17. यह सुस्थापित विधि है कि मोटर वाहन दुर्घटना के प्रतिकर निर्धारण के मामलों को संदेह से परे प्रमाणित करना अपेक्षित नहीं है अपितु सम्भावनाओं की प्रबलता का मानक का सिद्धांत लागू होता है। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2018(1) ACTC (SC) 479 Manglaram v. Oriantal Insurance Co. के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि-

I. Motor vehicles Act, 1988- Sec. 166- Establishment of claim case- Claimants are merely to establish their case on the

touchstone of the preponderance of probability- Standard of proof beyond reasonable doubt cannot be applied by Tribunal while dealing with the motor accident cases.

ii- Negligence-Determination-Way of-Filling of charge sheet against the driver of offending vehicle prima facie points towards his complicity in driving the vehicle negligently and rashly-Even when the accused were to be acquitted in the criminal case, the same may be of no effect on the assessment of the liability required in respect of motor accident cases by the Tribunal.

18. अतः उक्त विधि के आलोक में हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पुलिस अनुसंधान के निष्कर्ष का खण्डन नहीं हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी देवीसिंह ने अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर क्लेम याचिका में वर्णित इस तथ्य की पुष्टि की है कि मृतक परमानंद के सामने से ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारी थी। प्रार्थी साक्षियों ने अप्रार्थी बीमा कम्पनी के इन सुझावों को गलत बताया है कि मृतक ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठा हो और ट्रैक्टर पलटने से उसकी मृत्यु हुई हो। अप्रार्थी सं. 1 बीरम ने भी इस सुझाव को अस्वीकार किया है और उसकी साक्ष्य है कि परमानंद पेशाब कर लौट रहा था तब बैलेंस बिगड जाने के कारण ट्रेक्टर आगे खिसक जाने से हुई दुर्घटना के कारण परमानंद की मृत्यु हुई है। बीमा कम्पनी की ओर से अपने प्रतिवाद को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

19. इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण की ओर से पेश न्यायिक दृष्टांत 2022 (1) ACTC (Raj) 72 NIC Ltd. v. Smt. Pana Bai के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक के पैदल रहे होने के दौरान दुर्घटना कारित होने की साक्ष्य दी गई थी और बीमा कम्पनी अपनी साक्ष्य से यह साबित करने में विफल रही कि मृतक ट्रेक्टर में सवार हो।

20. अन्य न्यायिक दृष्टांत 2022 (1) ACTC (Raj) 311 Kushum Dixit & Ors. v. Dilip Kumar Bansal & Anr. के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना के मामले में कार्यवाहियां संक्षिप्त प्रकृति की होती हैं और दस्तावेज को प्रदर्शित करते समय उसकी सत्यता पर कोई आपत्ति नहीं की गई है कि संक्षिप्त कार्यवाही में यह तर्क

नहीं दिया जा सकता कि उक्त दस्तावेज की सत्यता को साबित करने का भार दावेदार पर है।

21. न्यायिक दृष्टांत 2015 (2) ACTC (Raj) 994 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन के नम्बर गलत दर्शित किये गए थे किन्तु चालक के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में हल्की सी विविधता क्लेम को विवादित नहीं बना सकती क्योंकि दुर्घटना घटित होने का तथ्य स्वीकृत है।

22. हस्तगत मामले में पुलिस अनुसंधान के निष्कर्ष व प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रश्नगत दुर्घटना घटित होने और दुर्घटना में आरोपी वाहन की लिप्तता व अप्रार्थी सं. 1 के वाहन चालक होने के तथ्य अखण्डित रूप से साबित हुए हैं।

23. बीमा कम्पनी की आपत्ति है कि मृतक परमानंद ट्रैक्टर ट्रोली में अनाधिकृत यात्री था जिसका बीमा कम्पनी ने कोई प्रीमियम नहीं लिया था और ट्रोली बीमित नहीं थी। ट्रैक्टर को अकृषि प्रयोजन से उपयोग किया जा रहा था, किन्तु बीमा कम्पनी ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। क्लेम याचिका व प्रार्थीगण की साक्ष्य के अप्रार्थी सं. 1 व मृतक अनुसार कृषि फार्म से प्रश्नगत ट्रैक्टर की ट्रोली में खाद खाली करने जा रहे थे और अप्रार्थी साक्षी बीरम का कथन है कि खाद अपने रिश्तेदार के यहाँ ले जा रहा था। इसलिए ट्रैक्टर का अकृषि कार्य के लिए उपयोग साबित नहीं होता। प्रार्थीगण की ओर से पेश न्यायिक दृष्टांत 2025 (2) RLW 1685 (Raj) National Ins. Co. Ltd. v. Mani Ram @ Munni Lal & Ors. के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि बीमित ट्रेक्टर फार्मर्स पैकेज पॉलिसी के तहत आवृत्त था और यह साबित करने के लिए यह साक्ष्य नहीं थी कि ट्रेक्टर को गैरकृषि या व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग किया गया था। इसलिए पॉलिसी का उल्लंघन नहीं पाया गया। ट्रेक्टर चालक के पास हल्का मोटरयान चलाने का लाईसेंस था। ट्रोली सहित ट्रेक्टर को हल्के मोटरयान के रूप में वर्गीकृत किया गया है इसलिए पृथक परिवहन पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है। साक्षियों के बयान में सामान्य विरोधाभास उनकी साक्ष्य का खण्डन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

24. इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचना से विवाद्यक सं. 1 प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक सं. 02

25. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है। अप्रार्थी सं. 1 की साक्ष्य से उसके ट्रैक्टर चालक व पंजीकृत स्वामी होने व मृतक परमानंद की मृत्यु ट्रैक्टर की टक्कर से होने का तथ्य की पुष्टि हुई है। प्रश्नगत दिवस आरोपी वाहन अप्रार्थी सं. 2 के यहाँ बीमित होना स्वीकृत है। अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने अपने जवाब में वर्णित आपत्तियों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। विवाद्यक सं.1 के विनिश्चय में आरोपी वाहन की लिप्तता एवं प्रश्नगत दुर्घटना के कारण मृतक परमानंद की मृत्यु कारित होने का तथ्य प्रमाणित पाया गया है। अतः विवाद्यक सं. 2 अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक सं. 03

26. प्रार्थीगण प्रभूलाल व रोड़ी बाई की ओर से अपने पुत्र परमानन्द की मृत्यु की क्षतिपूर्ति स्वरूप याचिका में कुल 30,52,000/- रूपये की मांग की गई है। प्रार्थीगण प्रभूलाल व रोड़ी बाई मृतक परमानन्द के माता-पिता हैं जो आश्रित व विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा अपने पुत्र परमानन्द की मृत्यु के कारण उसके प्रेम व स्नेह से वंचित हुए हैं। देय क्षतिपूर्ति राशि का निम्न प्रकार से निर्धारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैः-

27. क्लेम याचिका में सम्पत्ति की हानि के लिए 2,000/- रूपये, आय की क्षति के लिए 20,00,000/- रूपये, मानसिक संताप के लिए 5,00,000/- रूपये, प्रेम स्नेह से वंचित होने के लिए 5,00,000/- रूपये, दाह संस्कार क्रियाक्रम आदि के व्ययस्वरूप 5,000/- रूपये कुल 30,52,000/- रूपये क्षतिपूर्ति की मांग की है।

28. चूंकि विवाद्यक सं. 01 प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है एवं विवाद्यक संख्या 02 अप्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिकर के निर्धारण के लिए न्यायिक दृष्टांत MACT **2017(2)** SC **1201** National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors**.** के मामले में आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादित किये गये हैं, जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जाये तो प्रकट होता है कि क्लेम याचिका व साक्ष्य में मृतक को मजदूरी व काश्तकारी से

10,000/- रूपए मासिक आय अर्जित करना बताया गया है परन्तु आय के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में केवल मृतक को अकुशल कामगार के समतुल्य मानना न्यायोचित प्रतीत होता है, दुर्घटना दिनांक 15.05.2020 को कारित हुई है, इसलिए राजस्थान के राजपत्र प्रकाशित दिनांक 19.05.2019 से प्रभावी एवं तत्समय प्रवृत्त न्यूनतम मजदूरी की दर के अनुसार **225/-** रूपए प्रतिदिन एवं मासिक आय **5,850/-** रूपए के अनुसार मृतक मनोज की वार्षिक आय **5,850** X **12= 70,200/-** रूपये होना पाई जाती है।

29. प्रतिकर की गणना के लिए मृतक परमानन्द की आयु का तथ्य सुसंगत है। याचिका में उसकी आयु 22 साल होना दर्शाया गया है, आयु का कोई विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन मृतक के आधार कार्ड में उसकी जन्म दिनांक 1998 अंकित है। मृतक की आयु 22 वर्ष होने के तथ्य का अप्रार्थी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मृतक की आयु 22 वर्ष निर्धारित की जाती है।

30. हस्तगत प्रकरण में मृतक की आयु लगभग **22** वर्ष निर्धारित की गयी है ऐसी स्थिति में में उक्त न्यायिक दृष्टान्त MACT **2017(2)** SC **1201** National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार मृतक की वार्षिक आय में 40 प्रतिशत की वृद्वि किए जाने पर उसकी भावी वार्षिक आय **70,200 का 40% = 28,080 रूपये कुल योग 98,280/-** रूपए होना पाई जाती है। क्लेम याचिका में मृतक के आश्रित उसकी माता, पिता होना प्रकट हुआ है। पत्रावली से दर्शित होता है कि इस न्यायालय के समक्ष कांति बाई द्वारा मृतक परमानन्द की पत्नी होने के आधार पर एक पृथक क्लेम याचिका सं. 61/20 दिनांक 10.11.2020 को इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी किन्तु स्वयं कांति बाई की ओर से दिनांक 11.04.2022 को अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह अपनी याचिका को विड्रो करना चाहती है और वांछित क्षतिपूर्ति की राशि मृतक के माता-पिता को प्राप्त होती है तो प्रार्थिया को कोई आपत्ति नहीं है। इसी संदर्भ में प्रार्थी साक्षी कालूलाल के बयान में यह प्रकट हुआ है कि मृतक परमानन्द का विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी कांति बाई के बच्चे नहीं हुए थे क्योंकि शादी के बाद उसको लाये ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार न्यायालय के समक्ष मृतक परमानन्द के दो वारिस उसके माता-पिता हैं।

इसलिए मृतक की वार्षिक आय में स्वयं के निमित्त खर्च की जाने वाली 1/2 भाग राशि की कटौति किया जाना अपेक्षित है।

31. उक्त गणना के अनुसार मृतक की आयु 22 वर्ष होने के दृष्टिगत 18 के गुणक के अनुसार मृतक परमानन्द की मृत्यु से हुई आय की क्षति की गणना निम्न प्रकार से की जाती हैः-

वार्षिक आय x गुणक =	**कुल क्षति**
98,280 x 18	**17,69,040/-**
मृतक की स्वयं पर खर्च की जाने वाली 1/2 राशि (-)	**8,84,520/-**
आय की कुल क्षति =	**8,84,520/-**

32. उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थीगण अपने पुत्र के स्नेह व प्रेम से वंचित होने के कारण सांत्वना राशि के रूप में प्रत्येक को 40,000/- रूपये प्रतिकर दिलवाया जाना तथा दाह संस्कार के व्यय के रूप में 15000/- रूपये एवं दुर्घटना में सम्पदा की क्षति के लिए 15000/- रूपये दिलवाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

33. इस प्रकार प्रार्थीगण निम्नानुसार प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैः-

01- मृतक की आय की क्षति के लिए	=	8,84,520/-
02- सांत्वना राशि	=	80,000/-
03- दाह संस्कार के लिए राशि	=	15000/-
04- सम्पदा की हानि के लिए राशि	=	15000/-
कुल प्रतिकर राशि	=	**9,94,520/-**

34. इसके अतिरिक्त क्लेम याचिका में चाही गई कोई भी राशि प्रार्थीगण को दिलाया जाने का न्यायोचित आधार नही है। अतः प्रार्थीगण इस दुर्घटना में मृतक परमानन्द की मृत्यु के कारण प्रतिकर स्वरूप कुल **9,94,520/-** रूपये अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 से प्राप्त करने की अधिकारी हैं और यह क्लेम याचिका अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के विरूद्ध उक्तानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>विवाद्यक संख्या 4 अनुतोष?</u>

35. हस्तगत प्रकरण में विवाद्यक संख्या 01 व 03 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या 02 अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध विनिश्चित करते हुए उक्त प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से प्राप्त किये जाने का अधिकारी माना गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका उक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

<u>पंचाट</u>

36. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 उक्तानुसार स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध पंचाट निम्नानुसार पारित किया जाता हैः-

1- अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 संयुक्ततः व पृथकतः-पृथकतः प्रतिकर राशि **9,94,520/- रूपये** प्रार्थीगण सं. 1, 2 को अदा करेंगे एवं इस पर क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक 12.11.2020 से 7 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा किया जायेगा। शेष प्रतिकर राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

2- उक्त राशि में से पूर्व में प्रार्थी को धारा 140 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत दिलाई गई राशि यदि कोई हो और वह अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा अदा कर दी गई हो तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित की जावेगी।

3- प्रार्थीगण सं. 1 व 2 को देय क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रतिकर राशि निम्नानुसार जरिये बैंक बचत खाता एवं सावधि जमा खाता में जमा करवाई जायेगी। सम्पूर्ण ब्याज राशि उन्हें को नकद अदा की जायेगी जो उक्त पक्षकार जरिये बैंक बचत खाता नकद प्राप्त करेगें।

4- अवार्ड राशि का वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगाः-

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाता में नकद	एफ.डी.आर. में	एफडी आर की अवधि
1.	प्रभूलाल	1,97,260/- एवं ब्याज राशि	1,50,000/- 1,50,000/-	**01 वर्ष** **03 वर्ष**
2	रोड़ी बाई	1,97,260/- एवं ब्याज राशि	1,50,000/- 1,50,000/-	**02 वर्ष** **04 वर्ष**

37. न्यायिक दृष्टान्त ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. V. STATE OF RAJASTHAN & ANR. SB CIVIL WRIT NO. 6237/2017 के अनुसरण में आदेश किया जाता हैः-

1- अप्रार्थीगण सं. 1, 2 पंचाट में पारित प्रतिकर राशि का भुगतान अधिकरण के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अकलेरा के खाता संख्या 31165807186, IFSC Code- SBIN0006690 में NEFT/RTGS के माध्यम से करेगें।

2- अप्रार्थीगण सं. 1, 2 द्वारा पंचाट की उक्त पालना के संबंध में एक माह में सूचना निर्धारित प्रपत्र में अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, साथ ही उक्त सूचना सम्बन्धित पक्षकारों को भी दी जायेगी। प्रतिकर राशि जमा होने के पश्चात अधिकरण का बैंक पंचाट के अनुसार प्रार्थीगण 1 व 2 को उनके बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करेगा।

3- प्रार्थीगण का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नही जोड़ेगा।

4- प्रार्थीगण का बैंक उसको उक्त सावधि जमा खाता में जमा राशि के सम्बन्ध में अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नही करेगा एवं अधिकरण की अनुमति के बिना परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।

(मुकेश कुमार सोनी)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
अकलेरा, जिला झालावाड़

38. अधिनिर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
अकलेरा, जिला झालावाड़

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL WAJID CHISTY

Steno Gr. I "Authenticate Document" Digitally signed by ABDUL WAJID CHISTY Date: 2026.03.17 11:27:02 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।